भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3686
दिनांक 21.12.2021/ 30 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा

†**3686. श्री थोमस चाज़िकाडन:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 24, 25 और 26 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में घातक हिंसा को फैलने से रोकने में दिल्ली पुलिस की ओर से हुई चूक की कोई आंतरिक जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह की हिंसा को रोकने में विफल रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का संगत ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतत् प्रयास करती है। दिल्ली के उत्तर-पूर्वी भागों में हुई हिंसा के दौरान, दिल्ली पुलिस ने निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से तत्काल कार्रवाई की थी। कानून की विभिन्न निवारक (प्रिवेंटिव) धाराओं के तहत शरारती तत्वों, अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों और अन्य समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार/निरुद्ध (डिटेन) करके दिल्ली पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध निवारक (प्रिवेंटिव) कार्रवाई की गई थी। शांति और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में चौबीस घंटे सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, दिल्ली पुलिस द्वारा संतुलित और यथोचित कार्रवाई की गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए निष्कपट, समर्पित और निरंतर प्रयासों से थोड़े ही समय के भीतर दंगे की स्थिति सामान्य हो गई थी तथा इससे दिल्ली/एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी दंगे फैलने से रूक गए थे।

******